न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 36 / 2024

अनवान :–

1. रामचदर पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लक्षमण पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. सुमन पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, सायलान
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक : 15/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 56 / 53 की कुल 2.2770हैक्‍ भूमि सायलान बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 88 / 83 की कुल 5.6920हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि है।

सायलान की भूमि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 56 / 53 की कुल 2.2770हैक्‍ भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है जिससे सायलान को भारी परेशानी का सामना करना पडता है

सायलान व गैरसायलान संख्या 1 की भूमि चिपती हुई है इसलिये सायलान अपने गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायला की भूमि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 88 / 83 के प0न0 356 / 368 के किला न0 21 की 0. 2530हैक्‍ भूमि के मिन दक्षिण की 0.018हैक्‍ व किला न0 22 की 0.2530है भूमि के मिन दक्षिण की 0.018हैक्‍ भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 2 केएनएन के प0न0 356 / 368 के किला न0 23 में प्रवेश करते है यही रास्ता सदामत से चालू है एवं सायलान के सबसे नजदीकी एवं सुविधा जनक भी है ।

सायलान ने उक्त रास्ते की भूमि के बदले में गैरसायल संख्या 1 को डीएलसी दर की दुगनी राशि दे दी गई है तथा सायलान प्रार्थना पत्र 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तो की पालना करने को भी तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 86 / 83 के प0न0 356 / 368 के किला न0 21 के मिन दक्षिण की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

018हैक्ट भूमि व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.018हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे रास्ता की भूमि के बदले में गैरसायलान को डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा की जा चुकी है।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया गया एवं अपने कथनों की पुष्टि में एक शपथ पत्र भी पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निर्णय हेतु रखी गई निर्णय सुनाने से पूर्व गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता पुनः न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश किया की उक्त अनुवाल के प्रार्थना पत्र में गैरसायला से बहला फुसला कर साईन करवा लिये है न्यायालय से प्रार्थना पत्र की प्रति लेने पर ज्ञात हुआ की जिस रास्ता की स्वीकृति चाही गई है वह गलत दर्ज की गई है गैरसयल संख्या 1 का जबाब लिया जाकर निर्णय किया जावे।

गैरसायल संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का सायलान ने जबाब पेश किया गया अप्रार्थी संख्या 1 सुमन पत्नि महावीर ने प्रार्थना पत्र का जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर ईकबाल पेश किया गया है जिसमे प्रार्थना पत्र 251 क को स्वीकार किया गया है एव रास्ता दिया जाना एवं रास्ते की भूमि की राशि दिया जाना भी स्वीकार किया गया है जिसकी पुष्टि में शपथ पत्र 50/– रू के स्टाम्प पर अपने देवर सुनिल पुत्र रणजीत को बतौर गवाह हस्ताक्षर करवाये गये है अपने आधार कार्ड पर भी अग्रेजी में हस्ताक्षर किये गये है जिसे स्वेच्छा से न्यायालय मे पेश किया गया है एक बार जबाव पेश करने के उपरान्त पुनः जबाब पेश करने का प्रावधान नही है मात्र निर्णय में देरीना करने के लिये पेश किया गया है गैरसायल संख्या 1 के मन में लालच आ गया है इसलिये लालचवंश झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र 251(क) एवं जबाब प्रार्थना पत्र पुनः जबाब पेश करने के अवसर में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान की भूमि रोही मोजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.2770हैक्ट है तथा गैरसायल संख्या 1 की रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 86/83 की कुल 5. 6920हैक्ट भूमि है सायलान की खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही था सायलान , गेरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि के प0न0 356/368 के किला न0 21 , 22 के मिन दक्षिण की 0.0180हैक्ट में से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते आ रहे है सायलान एव गैर[illegible] से उक्त रास्ता में गेरसायला की जितनी भूमि आती थी उत[illegible] राशि दी जाकर रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व [illegible]की सहमति होने पर सायलान ने यह प्रार्थना पत्र उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने [illegible] पेश किया गया जिसे गैरसायल संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश कर दिया गया

..2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा अपने कथनों की पुष्टि में एक शपथ पत्र भी पेश कर दिया जो न्यायालय से स्वीकार किया जाकर पत्रावली में शामिल कर रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई तत्पश्चात गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता पुनः न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया की वह पुनः जबाब पेश करना चाहती है पहले बहला फुसला कर पेश करवाया गया है गैरसायला का कथन निराधार है गैरसायल संख्या 1 स्वय से सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है तथा शपथ पत्र भी स्वय के द्वारा पेश किया गया है शपथ पत्र की तस्दीक भी गेरसायल संख्या 1 के परिवार के सदस्य देवर के द्वारा की गई है जिसकी सत्यता पर किसी प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता है गेरसायला संख्या 1 लालच में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एक बार जबाब पेश करने के बाद पुनः जबाब पेश करने का अवसर नही दिया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र पुनः जबाब पेश करने का खारिज किया जाकर आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र 251(क) स्वीकार किया जाकर चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में ईकबाल दावा बहला फुसला कर गलत तथ्य अंकित कर पेश करवाया गया है जहॉ से रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति हुई थी उसका विवरण दर्ज ना कर अन्य रास्ता दर्ज किया गया है जिसकी सहमति नही हुइ थी इसलिये गैरसायल संख्या 1 सायलान के प्रार्थना पत्र 251(क) को जबाब पेश करने का अवसर दिया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया

सायलान रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 56 / 53 की कुल 2.2770हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा रोही मोजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 86 / 83 की कुल 5.6920हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायलान ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) इस आश्य का पेश किया की सायलान का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायलान अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायलान के खेत प0न0 356 / 368 के किला न0 21 ,22 के मिन दक्षिण की 0.018हैक्ट भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 23 मे प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी है जो वर्तमान में चालू है।

सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के सम्बध में गैरसायल संख्या 1 से सहमति हो गई है और रास्ता के बदले डीएलसी दर से दुगनी राशि गेरसायल को दे दी गई है इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर गैरसायल संख्या 1 ने सायलान के कथनों को स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सायलान के कथनों को स्वीकार कर ईकबाल जबाब पेश किया तथा अपने कथनों की पुष्टि हेतु शपथ पत्र भी पेश किया गया जो पत्रावली में उपलब्ध है उभयपक्षों की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने के कार्यवाही आरम्भ की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में होने के समय गैरसायल संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर अपने ईकबाल जबाब एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करने का कथन कर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर चाहा गया ।

गैरसायल संख्या 1 स्वय जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं अपने कथनों की पुष्टि में शपथ पत्र भी पेश किया गया है जो प्रस्तुत इकबाल दावा व शपथ पत्र से साबित है।

गैरसायल संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एव ईकबाल दावा से इन्कार नही किया गया है बल्की बहलाने फुसलान का कथन किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है क्योकि न्यायालय में गैरसायला संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आई है तथा ईकबाल भी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है जिससे यह नही कहा जा सकता की इकबला दावा में तथ्य गलत तौर से अंकित किये गये है अधिवक्ता वही तथ्य अंकित करता है जो सम्बध पक्षकार के द्वारा बताये जाते है।

गैरसायल संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किये गये इकबला दावा एवं शपथ पत्र से ईन्कार किया गया है जो विधि विरूद्व है न्यायालय में प्रतिदिन राजस्व पत्रावलीयों में ईकबाल दावा प्रस्तुत किये जाते है यदि गैरसायल संख्या 1 की तरह सम्बधित पक्षकार के द्वारा इन्कार होते रहे तो न्यायालय में प्रस्तुत ईकबाल दावा या शपथ पत्र का महत्व ही समाप्त हो जावेगा जो विधि विरूद्व है।

न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किये गये जबाब दावा से सम्बधित पक्षकार पाबन्द वह कभी भी अपने कथनों से इन्कार करने की अधिकारीता नही रखता है यदि इन्कार करने का कथन करता भी है तो उसका कोई औचित्य नही है न्यायालय में एक बार जबाब /ईकबला पेश करने के उपरानत पुनः जबाब पेश करवाने को कोई प्रावधान नही है ना ही ऐसे कथनों पर न्यायालय को कोई विचार करना चाहिये/किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायला का प्रार्थना पत्र पुनः जबाब पेश करने का आधार /तथ्यहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एव पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 2 केएनएन के प0न0 356/368(37) के किला न0 21 ,22 के दक्षिण दिशा में रास्ता चालू है जिस पर वर्तमान में आवागमन हो रहा है कोई बाधा नही है सायलान इसी रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 23 में पहुचता है।

गैरसायल संख्या 1 के द्वारा शपथ पत्र का ईकबाल जबाब न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त वापिस ... रास्ता को बन्द करने की मन्शा होने पर सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश किया ... चालू रास्ता को बन्द ना करे अर्थात गैरसायलान हस्तगत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को प्रभावित करने के लिये कभी भी चालू रास्ता को बन्द करने की कार्यवाही कर सकता है जिससे सायलान के हकों को हनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होना पूर्णत्या साबित है क्योकि सायलान को अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में नही है।

मुख्य आम सडक फेफाना से माधोसिधाना जो गैरसायल संख्या 1 के खेत के पास /चिपते हुए किला न0 21 के पास से गुजरती है सायलान की भूमि किला न0 23 है जहॉ तक पहुचने के लिये रास्ता की आवश्यकता है मुख्य सडक और सायलान की भूमि के मध्य गैरसायला संख्या 1 की भूमि किला न0 21 ,22 है इसके अलावा मुख्य सडक से सायलान के खेत तक जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है यही एक रास्ता है जो सायलान का उनकी खातेदारी भूमि तक पहुचा सकता है तथा मुख्य सडक से किला न0 21 ,22 से सायलान के किला न0 23 तक रास्ता वर्तमान में चालू है किसी प्रकार की बाधा नही है अतः सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयुक्त रास्ता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान ने अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.2770हैक्ट में जाने के लिये गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि के प0न0 356/368(37) के किला न0 21 ,22 के मिन दक्षिण की 0.018हैक्ट में से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 23 में पहुचता है को स्वीकृत करवाने का पेश किया गया था पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है किसी प्रकार की कोई बाधा नही है सायलान के कथनों को स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ने ईकबाल पेश किया जा चुका था तथा रास्ते की भूमि के बदले में राशि लेनो भी स्वीकार किया गया है अर्थात सायलान एव गैरसायल संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर उक्त रास्ता स्वीकार योग्य है गैरसायल संख्या 1 अपने ईकबाल दावा एव शपथ पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार नही कर सकता है ना ही गैरसायल संख्या 1 पुनः किसी प्रकार का जबाब पेश करने का अधिकार रखता है पुनः जबाब पेश करने का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः गैरसायल संख्या 1 को प्रार्थना पत्र पुनः जबाब पेश करने का अवसर देने का खारिज किया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र 251(क) साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएनएन के प0न0 356/368(37) के किला न0 21 ,22 के मिन दक्षिण में 0.018हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/ 1025 दिनांक 15/10/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 36 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/10/24

अनवान :– अनवान :–

1. रामचदर पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लक्षमण पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. सुमन पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के प0न0 356/368(37) के किला न0 21 ,22 के मिन दक्षिण में 0.018हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested